रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 33] नई दिल्ली, अगस्त 7—अगस्त 13, 2016, शनिवार/ श्रावण 16—श्रावण 22, 1938
No. 33] NEW DELHI, AUGUST 7—AUGUST 13, 2016, SATURDAY/ SRAVANA 16— SRAVANA 22, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2016

का.आ. 1618.— राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित व्यक्तियों को दिनांक 27.07.2016 से तीन वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के निदेशक मण्डल में निदेशक नियुक्त करती है:-

(i) अपर मुख्य सचिव-सह-कृषि उत्पाद आयुक्त,
खाद्य सुरक्षा एवं कृषि विभाग,
मन्नान भवन,
सिक्किम सरकार।

(ii) कृषि उत्पाद आयुक्त एवं सचिव,
कृषि एवं सहकारिता (बागवानी एवं रेशम कीटपालन) विभाग,
तेलंगाना सरकार,
सचिवालय, सैफाबाद, हैदराबाद-500 022

[फा. सं. 7/1/2016-बीओ-I]

ज्ञानोतोष राय, अवर सचिव

अपीलार्थी का कथन है कि उसकी सेवामुक्ति विधि विरूद्ध एवं "छटनी" की परिभाषा से आच्छादित है। श्रम न्यायालय ने सेवासमाप्ति को अनुचित अवधारित कर विगत वेतन सहित सेवा में पुनर्स्थापना का आदेश पारित किया। श्रम न्यायालय के पंचाट के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने सिविल रिट याचिका स्वीकार की एवं प्रत्यर्थी को निर्देशित किया कि याची को क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख रूपया ड्राफट के रूप में अथवा नगद अदा करें। सेवा में पुनर्स्थापना का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार की एवं श्रम न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया कि श्रम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, दोनों ने यह निष्कर्ष दिया था कि प्रत्यर्थी द्वारा की गयी सेवामुक्ति "छंटनी" थी, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की सेवा में पुनर्स्थापना के आदेश की जगह केवल क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश पारित कर त्रुटी कारित की। 2014 LAB. I. C. 2643 (सर्वोच्च न्यायालय), भुवनेश कुमार द्विवेदी ...अपीलार्थी, बनाम मैसर्स हिन्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड.... प्रत्यर्थी की समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों तथा श्री दीपक कुमार गर्ग के मामले की तथ्य एवं परिस्थितियों की तुलना से स्पष्ट है कि श्री दीपक कुमार गर्ग के मामले में उक्त दृष्टान्त से कोई मदद नहीं ली जा सकती है। उक्त व्याख्या एवं विश्लेषण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर हूँ कि विपक्ष द्वारा सेवा मुक्ति का आदेश उचित एवं विधि संगत है। बिन्दु संख्या दो का निस्तारण तद्नुसार किया जाता है।

54. पक्षकारों के अभिवचनों एवं उसके समर्थन में उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं विधिक दृष्टान्तों की उक्त व्याख्या एवं विश्लेषण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर हूँ कि सिंडिकेट बैंक, किशनगढ़, जनपद अजमेर के प्रबन्धन द्वारा दिनांक 5.1.12 से प्रार्थी श्री दीपक कुमार गर्ग की सेवा समाप्ति की कार्यवाही उचित एवं विधिसंगत है एवं प्रार्थी याचित अनुतोष पाने का हकदार नहीं है। प्रार्थी की याचिका तद्नुसार खारिज की जाती है। न्यायनिर्णयन हेतु प्रेषित निर्देश का उत्तर उक्त प्रकार दिया जाता है। पंचाट तद्नुसार पारित किया जाता है।

55. पंचाट की प्रतिलिपि केन्द्रीय सरकार को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रकाशनार्थ प्रेषित की जाय।

भरत पाण्डेय, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2016

का.आ. 1702.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948(1948 का 34) की धारा-1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 01 सितम्बर, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-IV (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी हैं) अध्याय- V और VI [धारा-76 की उप धारा (1) और धारा -77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं] के उपबंध राजस्थान राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:

क्रम संख्या	जिले का नाम
1.	बारां
2.	करौली
3.	चुरु
4.	जालौर
5.	प्रतापगढ़

[सं. एस-38013/34/2016-एस.एस.-1]

अजय मलिक, अवर सचिव

New Delhi, the 9th August, 2016

S.O. 1702.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st September, 2016, as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Rajasthan, namely:—

Sr. No.	Name of the District
1.	Karauli
2.	Jalore
3.	Churu
4.	Pratapgarh
5.	Baran

[No. S-38013/34/2016-S.S.-I]

AJAY MALIK, Under Secy.